माननीय मेहताब एस. गिल और राकेश कुमार जैन, .ज.

अनूप सिंह और अन्य,—याचिकाकर्ता बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,—प्रतिवादी

एल.पी.ए. संख्या **106** का **2005** सी.डब्ल्यू.पी. संख्या **5989** का **1983**

19 फरवरी, **2008**

भारत का संविधान, **1950,—**अनुच्छेद **226—**पंजाब भूमि कब्जे की सुरक्षा नियम, **1956—** नि.**6(3)—**अपीलकर्ताओं के हितपूर्वक ने उनके पक्ष में पंजीकृत उपहार विलेख के जरिए भूमि का हस्तांतरण किया—भूमि अधिशेष घोषित—रिकॉर्ड में अधिशेष घोषित करने वाले आदेश से पहले भूमि की अलग स्वामित्व और कब्जे का प्रदर्शन—हस्तांतरणीयों को कोई सूचना नहीं दी गई—**1956** के नियमों के नि.**6(3)** में प्रदान किया गया है कि भूमिस्वामी के अधिशेष क्षेत्र की निर्धारण के समय, संबंधित व्यक्तियों को सूचना देना अनिवार्य है—प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन—फॉर्म 'एफ' हस्तांतरणीयों को नहीं दिया गया—अधिशेष आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने की सीमा समय फॉर्म 'एफ' की प्राप्ति से शुरू होती है—विलंब के आधार पर एकल न्यायाधीश द्वारा याचिका खारिज करने का आदेश टिकाऊ नहीं है—अपील मंजूर।

यह माना गया कि चूँकि अपीलकर्ताओं के नाम राजस्व रिकॉर्ड अर्थात् जमाबंदी के वर्ष 1959-60 में 15 मई, 1961 को अधिशेष क्षेत्र की घोषणा से पहले दर्ज हैं, इसलिए, फॉर्म 'एफ' पर सूचना अपीलकर्ताओं के लिए अत्यंत आवश्यक थी, जो कि हस्तांतरणीय/दानी थे। अपीलकर्ताओं को फॉर्म 'एफ' पर सूचना के बिना, अधिशेष कार्यवाही बाधित हो गई क्योंकि सूचना का प्रावधान अनिवार्य है और यहां तक कि अपीलकर्ताओं के पिता और दादा की उपस्थिति भी कानून की आवश्यकता का पर्याप्त अनुपालन नहीं है।

(अनुच्छेद 20 और 21)

इसके आगे यह भी माना गया, कि सीमा समय के बिंदु के संदर्भ में, एक बार जब हमने यह मान लिया कि फॉर्म 'एफ' पर सेवा अनिवार्य है, जो कि वर्तमान अपीलकर्ताओं को नहीं दी गई है, तो सीमा समय फॉर्म 'एफ' की प्राप्ति से शुरू होगा क्योंकि उप-नियम (6) के तहत पारित आदेश के साथ फॉर्म 'एफ' में विवरण कलेक्टर का वास्तविक निर्णय माना जाता है।

(अनुच्छेद 22)

एल.एन. वर्मा, अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता।

एस.के. बिश्नोई, डी.ए.जी. हरियाणा, प्रतिवादियों के लिए।

राकेश कुमार जैन, न्यायाधीश।

(1) यह अपील 29 सितंबर, 2004 को पारित एकल न्यायाधीश द्वारा लिखित याचिका को खारिज करने वाले आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने 15 मई, 1961 (एनेक्स्चर पी-1), 7 सितंबर, 1961 (एनेक्स्चर पी-3), 8 जनवरी, 1963 (एनेक्स्चर पी-4), 18 अप्रैल, 1983 (एनेक्स्चर पी-7) और 2 अगस्त, 1983 (एनेक्स्चर पी-9) को चुनौती दी थी जिसमें जिया लाई, अपीलकर्ताओं के हितपूर्वक, के हाथों में 34.14 (साधारण एकड़) क्षेत्रफल को अधिशेष घोषित किया गया था और उसके द्वारा अपने पुत्र और पोते (वर्तमान अपीलकर्ता) के पक्ष में की गई भूमि की उपहार दान अवैध मानी गई थी।

(2) संक्षेप में, मामले के तथ्य यह हैं कि जिया लाई अपीलकर्ताओं के हितपूर्वक 15 अप्रैल, 1953 को गांव समानी भोलन, जिला हिसार की राजस्व संपत्ति में 94.14 एकड़ कृषि भूमि के विशिष्ट स्वामी थे। अपीलकर्ताओं के अनुसार,— 18 अप्रैल, 1957 को पंजीकृत उपहार विलेख के जरिए, जिया लाई ने 58.67 एकड़ क्षेत्रफल को अपने पुत्र करम चंद और पोते भरत सिंह को हस्तांतरित किया। 15 मई, 1961 के आदेश (एनेक्स्चर पी-1) में, कलेक्टर अधिशेष क्षेत्र, हिसार, ने गांव समानी भोलन, तहसील फतेहाबाद के तत्कालीन जिला हिसार में 34.14 (साधारण एकड़) क्षेत्रफल को अधिशेष के रूप में घोषित किया, जैसा कि आदेश के साथ जुड़े एपेंडिक्स 'ए' में विस्तृत है, बिना अपीलकर्ताओं (हस्तांतरणीयों) को कोई सूचना दिए और 18 अप्रैल, 1957 को जिया लाई द्वारा उनके पक्ष में किए गए हस्तांतरण को अनदेखा करते हुए। 15 मई, 1961 की तारीख का आदेश (अनुलग्नक P-1) जिया लाई ने अपील के माध्यम से चुनौती दी, जिस पर उत्तरदाता संख्या 4 ने — अपने आदेश दिनांक 7 सितंबर, 1961 (अनुलग्नक P3) के द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए इसे वापस कलेक्टर अधिशेष क्षेत्र को भेजने का निर्देश दिया, ताकि जिया लाई को उनकी पसंद का अनुमेय क्षेत्र चुनने की अनुमति दी जा सके। उसके बाद, कलेक्टर के समक्ष प्रक्रिया चल रही थी, इस दौरान अधिशेष क्षेत्र का मामला जिया लाई या संबंधित हस्तांतरणकर्ता/अपीलकर्ताओं को कोई सूचना दिए बिना पंजाब के विशेष कलेक्टर को हस्तांतरित कर दिया गया। पंजाब के विशेष कलेक्टर ने—अपने आदेश दिनांक 8 जनवरी, 1963 (अनुबंध P-4) में मामले को रिकॉर्ड में रखते हुए यह देखा कि जिया लाई को सूचना दी गई थी, हालांकि, आयुक्त / प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिए गए विशिष्ट निर्देश,—विचाराधीन आदेश दिनांक 7 सितंबर, 1961 (अनुबंध P-3) पर विचार नहीं किया गया था। अपीलकर्ताओं के अनुसार, उन्हें 8 जनवरी, 1963 (अनुबंध P-4) के आदेश पारित होने तक किसी भी स्तर पर अधिशेष क्षेत्र की कार्यवाही की सूचना नहीं थी और उन्होंने पहली बार जिया लाई के अधिशेष क्षेत्र के मामले के निर्णय के बारे में 11 मार्च, 1983 को जाना। प्रतिलिपि के लिए 11 मार्च, 1983 को ही आवेदन किया गया और अपील (अनुबंध P-5) के साथ-साथ विलंब की माफी के लिए धारा 5 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया। आयुक्त ने—अपने आदेश दिनांक 18 अप्रैल, 1983 (अनुबंध P-7) में अपील को खारिज करते हुए यह देखा कि "यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ताओं को इस आदेश का पता नहीं था।"

(3) आयुक्त के आदेश से असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ताओं ने वित्तीय आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण (अनुबंध P-8) प्रस्तुत किया लेकिन उसे भी वही भाग्य प्राप्त हुआ क्योंकि उसे भी—आदेश दिनांक 2 अगस्त, 1983 (अनुबंध P-9) में खारिज कर दिया गया जिसके फलस्वरूप उपरोक्त रिट याचिका दायर की गई जिसमें आदेश दिनांक 15 मई, 1961 (अनुबंध P-1), 7 सितंबर, 1961 (अनुबंध P-3), 8 जनवरी, 1963 (अनुबंध P-4) 18 अप्रैल, 1983 (अनुबंध P-7) और 2 अगस्त, 1983 (अनुबंध P-9) को चुनौती दी गई थी। सीखे हुए एकल न्यायाधीश ने—अपने आदेश दिनांक 29 सितंबर, 2004 में विलंब के आधार पर मुख्यतः रिट याचिका को खारिज कर दिया।

(4) इस अपील की सूचना पर, प्रतिवादी-हरियाणा राज्य ने उपस्थिति दर्ज की है। स्वीकृति के समय, यह आदेश दिया गया था कि विषयगत भूमि की प्रकृति, शीर्षक और कब्जा के संबंध में स्थिति को बनाए रखा जाएगा।

(5) अपीलकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया है कि प्रश्न की गई भूमि अब तक उपयोग में नहीं आई है और उनके कब्जे में है, जिस तथ्य को प्रतिवादियों के वकील द्वारा विरोध नहीं किया गया है।

(6) सुनवाई के दौरान, पक्षों के वकीलों से कहा गया कि वे संबंधित कानून के साथ लिखित तर्क प्रस्तुत करें। इसके अनुसार, अपीलकर्ताओं के वकील ने लिखित तर्क और मामले का कानून प्रस्तुत किया है। (7) अपीलकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया है कि 15 मई, 1961 (अनुलग्नक P-1), 7 सितंबर, 1961 (अनुलग्नक P-3), 8 जनवरी, 1963 (अनुलग्नक P-4), 18 अप्रैल, 1983 (अनुलग्नक P-7) और 2 अगस्त, 1983 (अनुलग्नक P-9) के आदेश हस्तांतरणकर्ता/ अपीलकर्ताओं को सूचना न देने के कारण दोषपूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि जिया लाई ने 18 अप्रैल, 1957 को उनकी 58.67 एकड़ भूमि उपहार के रूप में अपीलकर्ताओं को हस्तांतरित की थी, जिन्हें राजस्व रिकॉर्ड में उसके कब्जे वाले मालिकों के रूप में दर्ज किया गया था। उन्होंने न्यायालय का ध्यान रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य अनुलग्नक P10 की ओर खींचा, जो वर्ष 1959-60 के लिए एक जमाबंदी है जिसमें अपीलकर्ता उन्हें जिया लाई से उपहार के रूप में प्राप्त भूमि के 1/2 हिस्से के मालिक के रूप में कब्जा करने वाले और समेकन के बाद नए नंबरों के साथ दर्ज किए गए हैं। उन्होंने दस्तावेज़ (अनुलग्नक P-II) की ओर भी संकेत किया, जो वर्ष 1959-60 के लिए एक जमाबंदी है जो उपहार के बाद जिया लाई के साथ रह गई भूमि से संबंधित है, जिसमें वह स्वयं की खेती के नए क्षमता के रूप में दर्शाया गया है।

(8) अपीलकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया है कि उन्हें न तो कलेक्टर, अधिशेष क्षेत्र और न ही विशेष कलेक्टर द्वारा उन्हें उपहार के रूप में दी गई भूमि को अधिशेष घोषित करने से पहले कोई सूचना जारी की गई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि एक बड़े भूस्वामी से हस्तांतरित होने वाला प्राप्तकर्ता भूमि को अधिशेष घोषित करने के संबंध में किसी भी आदेश के पारित होने से पहले सुनवाई के लिए पात्र है और बिना सूचना के आदेश एक शून्यता है। इस संबंध में, उन्होंने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया है जैसे कि हरदेव सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (1), एस. बलवंत सिंह चोपड़ा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (2) धरम वीर बनाम वित्तीय आयुक्त, हरियाणा और अन्य (3) और देस राज और अन्य बनाम चनान माई नेवर और अन्य, (4) तर्क देने के लिए कि पंजाब भूमि सुरक्षा नियम, 1956 (संक्षिप्त में 'नियम') के नियम 6 उप-नियम 3 के अनुसार, भूस्वामी के अधिशेष क्षेत्र की निर्धारण के समय, रुचि रखने वाले व्यक्तियों को सूचना अनिवार्य है। राजस्व रिकॉर्ड में दिखाई देने वाले व्यक्तियों को सूचना जारी की जानी चाहिए। रुचि रखने वाले व्यक्तियों को सूचना का अभाव पूरी कार्यवाही को दोषपूर्ण बना देगा।

(9) इन निर्णयों के आधार पर, अपीलकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया है कि चूंकि वे हस्तांतरण प्राप्तकर्ता हैं, उन्हें नियम 6 (3) के तहत एक सूचना का हकदार था क्योंकि उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड (अनुलग्नक P-10) में दर्ज हैं। यह आगे तर्क दिया गया है कि उन्हें सूचना न दिए जाने से, संपूर्ण कार्यवाही दोषपूर्ण हो गई है।

(10) अपीलकर्ताओं के वकील ने यह भी उजागर किया है कि 'ऑडी अल्टेरम पार्टेम' प्राकृतिक न्याय का अभिन्न अंग है, जिसे उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यहां तक कहा है कि उनके पिता की उपस्थिति से भी सूचना देने की आवश्यकता समाप्त नहीं होती है। इस संदर्भ में, उन्होंने जगरूप सिंह गिल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (5), राम गोपाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (6) और इंद्राज सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (7) पर निर्भरता व्यक्त

की है ताकि यह कह सकें कि सुनवाई अनिवार्य है और किसी प्रक्रिया में पिता की उपस्थिति होने पर भी हस्तांतरण प्राप्तकर्ता को सूचना देना आवश्यक है।

(11) श्री एल.एन. वर्मा, अपीलकर्ताओं के वकील, ने एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों को चुनौती देते हुए कहा कि रिट याचिका को केवल देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया था। यह तर्क दिया गया है कि अधिशेष के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की सीमा, प्रपत्र 'एफ' की सेवा की तारीख से शुरू होती है, न कि आदेश की तारीख से, यहां तक कि यदि जमीन का मालिक आदेश घोषित होने पर उपस्थित हो, क्योंकि कलेक्टर का आदेश और प्रपत्र 'एफ' में बयान मिलकर जमीन मालिक को प्रभावित करने वाले कलेक्टर के वास्तविक निर्णय को बनाते हैं और चूंकि प्रपत्र 'एफ' कभी भी अपीलकर्ताओं पर सेवा नहीं किया गया था, इसलिए, उन पर देरी का कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है। इस संदर्भ में, उन्होंने वीर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (8), टेक राम बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (9), भारत स्टार्च और केमिकल्स लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (10) पर भरोसा किया है,

(12) वैकल्पिक रूप से, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि एक पक्षीय आदेश के खिलाफ अपील की शुरुआत आदेश की तारीख से नहीं बल्कि ज्ञान की तारीख से होती है और इसे प्रमाणित करने के लिए गंगा राम बनाम वित्तीय आयुक्त (राजस्व) हरियाणा और अन्य (11) का हवाला दिया है।

(13) अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने हमारा ध्यान एकल न्यायाधीश की उन टिप्पणियों की ओर खींचा जिन्हें वह गलत तरीके से दर्ज किया गया कहते हुए यह दावा करते हैं कि न तो अपीलकर्ताओं के दावे की जांच कलेक्टर द्वारा की गई थी और न ही यह कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता 15 मई, 1961 के आदेश (एनेक्स्चर पी-1) के बारे में जानते थे।

(14) श्री एल.एन. वर्मा, अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता ने यह भी जोर देकर कहा कि विशेष कलेक्टर प्रतिवादी संख्या 6, रिमांड आदेश से बाध्य थे,—जैसा कि 7 सितंबर, 1961 के आदेश (एनेक्स्चर पी-3) में किया गया था जो कि नहीं किया गया है और यह इंगित किया गया है कि यह श्री गुरु ग्रंथ साहिब नानकसर, पट्टी बीर सिंह बहादुर बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (12) मामले में दिए गए निर्णय की दृष्टि में एक अवैधता है।

(15) अंत में, यह दावा किया गया है कि 30 जुलाई, 1958 से पहले अपने अनुमति योग्य क्षेत्रफल से अधिक बड़े भू-स्वामी द्वारा किए गए सभी हस्तांतरण हरियाणा भूमि पर अधिकार की सीमा अधिनियम, 1972 (संक्षेप में, "हरियाणा अधिनियम") की धारा 8(1)(ए) का उत्पादन आनंद लेते हैं, चाहे उसका हस्तांतरणी और हस्तांतरण के तरीके से कोई संबंध हो और बाद में अधिशेष घोषित किया गया हस्तांतरित क्षेत्र, राज्य सरकार में धारा 12 (3) के तहत वेस्ट नहीं होगा ताकि हरियाणा अधिनियम के तहत बनाई गई उपयोगिता योजना, 1976 के तहत उपलब्ध हो सके और हस्तांतरणी को हस्तांतरण क्षेत्र रखने का अधिकार होगा बावजूद इसके कि यह हस्तांतरणकर्ता के हाथों में अधिशेष घोषित किया गया था। यह भी दावा किया गया है कि ऐसे क्षेत्र को अधिशेष के रूप में घोषित करने वाला आदेश अप्रभावी हो जाएगा और उसके लिए, इस न्यायालय के पूर्ण पीठ निर्णय में संदर्भ दिया गया है संत जसवंत कौर और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य (13) मामले में और इस न्यायालय के एक अन्य पूर्ण पीठ निर्णय में हरियाणा राज्य और अन्य बनाम चांदगी, (14)।

(16) जवाब में, श्री एस.के. बिश्नोई, डीएजी हरियाणा ने जोरदार तरीके से तर्क दिया है कि उपहार पत्र के माध्यम से भूमि का हस्तांतरण संबंधित अधिकारियों द्वारा अवैध माना गया था। इसके अलावा तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता उस समय नाबालिग नहीं थे और इसलिए यह माना नहीं जा सकता है कि वे मामले के तथ्यों से अनजान थे और इसलिए, उनके द्वारा सूचना की कमी का दावा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने फॉर्म 'F' पर सूचना भी दिखाई है, जो अपीलकर्ताओं के पूर्वज-इन-इंट्रेस्ट जिया लाई को जारी की गई थी, लेकिन स्वीकार किया गया है कि हस्तांतरणकर्ताओं/वर्तमान अपीलकर्ताओं को सूचना दिए जाने का कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी जा सकती क्योंकि उन्होंने 20 साल बाद अदालत का रुख किया है, इसलिए, निचली अदालतों द्वारा पारित आदेश कानून के अनुसार हैं और 29 सितंबर, 2004 के विवादित आदेश में सीखे हुए एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज निष्कर्षों को बनाए रखा जाना चाहिए।

(17) हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है। हमने पाया है कि यह अपील स्वीकार्यता की योग्य है।

(18) कुछ तथ्य स्वीकार किए गए हैं, अर्थात्, जिया लाई अपीलकर्ताओं के पूर्वज-इन-इंट्रेस्ट थे। वह 15 अप्रैल, 1953 को गांव समानी भोलान की राजस्व इस्टेट में 94.14 एकड़ कृषि भूमि के संपूर्ण मालिक और विशेष कब्जे में थे, उनके अधिशेष क्षेत्र का मामला 15 मई, 1961 को निर्णय किया गया और 34.14 एकड़ भूमि उनके हाथों में अधिशेष घोषित की गई,—विदे आदेश दिनांक 15 मई, 1961 (अनुलग्नक P-1) जिसमें उनके द्वारा 18 अप्रैल, 1957 को रजिस्टर्ड उपहार पत्र के माध्यम से किया गया हस्तांतरण नहीं देखा गया। जमाबंदी अनुलग्नक P-10 और P-11 रिकॉर्ड पर प्रश्न में भूमि के संबंध में अपीलकर्ताओं और जिया लाई की अलग स्वामित्व और कब्जे को दर्शाती है जो कि 15 मई, 1961 को भूमि को अधिशेष घोषित करने वाले आदेश से काफी पहले की है। प्रतिवादी—राज्य के वकील हमें पहला, फॉर्म 'F' पर अपीलकर्ताओं/हस्तांतरणकर्ताओं को कोई भी सूचना दिए जाने को नहीं दिखा सके और न ही उस आधार पर जिस पर रजिस्टर्ड उपहार पत्र को अवैध घोषित किया गया है। इन तथ्यों के साथ-साथ दस्तावेज अनुलग्नक P-10 और अनुलग्नक P-11 को देखते हुए, हम पाते हैं कि निचली अदालतों ने तथ्यों का सही मूल्यांकन करने में गलती की है और लिस पर अनुमानों और संभावनाओं पर निर्णय लिया है।

(19) हरदेव सिंह (सुप्रा), एस. बलवंत सिंह चोपड़ा (सुप्रा), धरम वीर (सुप्रा) और देस राज (सुप्रा) के मामलों में नियमों के नियम 6(3) की व्याख्या करते समय, यह निर्धारित किया गया है कि सभी रुचि रखने वाले व्यक्तियों को सूचना की सेवा की आवश्यकता प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है जिसमें किसी भी व्यक्ति को एक अवसर प्रदान किया जाता है जो संबंधित कार्यवाही में पारित किए जा सकने वाले आदेश से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है। इसके आगे यह भी माना गया कि ऐसी सूचना की कमी को केवल इस आधार पर अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि विशेष हस्तांतरणी जो कार्यवाही में रुचि रखने वाले व्यक्ति माने जा सकते हैं, उनके पास वास्तव में प्रस्तावित आदेश के खिलाफ कोई सशक्त बचाव नहीं है, इसलिए, यह माना गया कि स्पष्ट है कि नियम 6(3) के तहत सूचना को केवल उन व्यक्तियों को जारी करना होगा जिनके नाम पटवारी द्वारा तैयार फॉर्म 'डी' में उल्लेखित हो सकते हैं या जिनके नाम सर्कल रेवेन्यू ऑफिसर को उपलब्ध प्रासंगिक राजस्व रिकॉर्ड में विक्रेता या दानी या अन्य हस्तांतरणी या भूमि के किरायेदार के रूप में दिखाई दे सकते हैं, जिसे मूल भूमिस्वामी

के अधिशेष क्षेत्र में शामिल किया जाना प्रस्तावित है। सूचना के अभाव में, यह माना गया कि पूरी कार्यवाही बाधित हो जाएगी।

(20) चूँकि अपीलकर्ताओं के नाम राजस्व रिकॉर्ड यानी जमाबंदी (एनेक्स्चर पी-10) में वर्ष 1959-60 के लिए 15 मई, 1961 को अधिशेष क्षेत्र की घोषणा के आदेश से पहले दर्ज हैं, इसलिए, फॉर्म 'एफ' पर सूचना अपीलकर्ताओं के लिए अति आवश्यक थी, जो कि हस्तांतरणी/दानी थे।

(21) हम अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा किए गए प्रस्तुतियों से सहमत हैं कि अपीलकर्ताओं को फॉर्म 'एफ' पर सूचना के अभाव में, अधिशेष कार्यवाही बाधित हो गई है क्योंकि इंद्राज के मामले (उपरोक्त) के अनुसार, सूचना का प्रावधान अनिवार्य है और यहां तक कि अपीलकर्ताओं के पिता और दादा की उपस्थिति भी कानून की आवश्यकता का पर्याप्त अनुपालन नहीं है।

(22) सीमा समय के बिंदु के संबंध में, एक बार जब हमने यह मान लिया है कि फॉर्म 'एफ' पर सेवा अनिवार्य है, जो कि वर्तमान अपीलकर्ताओं को नहीं दी गई है। सीमा समय फॉर्म 'एफ' की प्राप्ति से शुरू होगा जैसा कि वीर सिंह (उपरोक्त), धरम वीर (उपरोक्त), टेक राम (उपरोक्त) और भारत स्टार्च और केमिकल्स लिमिटेड (उपरोक्त) मामलों में माना गया है क्योंकि उप नियम (6) के तहत पारित आदेश के साथ फॉर्म 'एफ' में बयान कलेक्टर का वास्तविक निर्णय माना जाता है।

(23) उदाहरण के लिए एक मामले में यानी भारत सिंह और केमिकल लिमिटेड (उपरोक्त), प्रतिवादियों द्वारा विलंब का मुद्दा उठाया गया था क्योंकि उस मामले में 1962 में घोषित अधिशेष क्षेत्र को 1963 में अपील में बरकरार रखा गया था लेकिन उसे लगभग तीन दशकों के बाद 1991 में चुनौती दी गई थी लेकिन इस न्यायालय ने माना कि उस मामले के याचिकाकर्ता गुणों पर विचार करने से वंचित नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि फॉर्म 'एफ' परोसा नहीं गया था, इसलिए कलेक्टर का आदेश बाधित है।

(24) प्रत्युत्तरकर्ताओं के अनुसार स्वयं, फॉर्म 'F' की सेवा जिया लाई पर की गई थी और वर्तमान अपीलकर्ताओं, जो अंतरणकर्ता हैं, पर नहीं की गई थी।

(25) अंत में, हरियाणा अधिनियम की धारा 8(1) (अ) के दृष्टिकोण से, अंतरणकर्ता के साथ संबंध और अंतरण के मोड के बावजूद, अधिनियम की धारा 12(3) के तहत घोषित अधिशेष क्षेत्र राज्य सरकार में नहीं बसेगा और अंतरणकर्ता को उस क्षेत्र को बनाए रखने का अधिकार होगा। इस तर्क में योग्यता है क्योंकि इसे इस न्यायालय की फुल बेंच और डिवीजन बेंच के निर्णयों में जसवंत कौर (सुप्रा) और हरियाणा राज्य बनाम चंदगी (सुप्रा) के मामलों में निर्णीत किया गया है।

(26) उपरोक्त निष्कर्षों के परिणामस्वरूप, जो हमने दर्ज किए हैं, सीखे गए एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आपत्तिजनक आदेश टिकाऊ नहीं हो सकता है और इसे निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, वर्तमान अपील स्वीकृत की जाती है और इसके परिणामस्वरूप, 15 मई, 1961 (अनुलग्नक P-1), 7 सितंबर, 1961 (अनुलग्नक P-3), 8 जनवरी, 1963 (अनुलग्नक P-4), 18 अप्रैल,

1983 (अनुलग्नक P-7) और 2 अगस्त, 1983 (अनुलग्नक P-9) को अवैध घोषित किया जाता है और ऐसे रूप में निरस्त किया जाता है। हालांकि, खर्चे के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मिताली अग्रवाल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)
रेवाड़ी, हरियाणा